आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
30/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। राजकार्य की व्यस्तता के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07/01/2024 को पेश हो।	
7/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। विद्वान अभिभाषकगण द्वारा सुनाई गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से जो खातेदार प्रभावित हो रहे हैं उन्हें वादपत्र में संयोजित नहीं किया गया है अर्थात, वादपत्र में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। उपरोक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	